कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2471 /12–1 देहरादून:दिनांक: 4 अप्रैल, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0)
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़
देहरादून।

विषय– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवालगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.745 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबध में।
**PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/35879/2018**

सन्दर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/71/2019/एफ.सी./2563 दिनांक 31.03.2021 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा कतिपय शर्तो के तहत सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 1541/12–1 दिनांक 20.02.2025 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :

| बि.सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | प्रतिपूरक वनीकरणः– | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1490 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आव यक धनराशि @ CA rate for 1.49 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1490 पौधों का @ CA rate for 1.49 ha. area रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु **रुपये 5,52,644.00 (पांच लाख, बावन हजार, छः सौ चवालीस) मात्र की धनराशि** जमा की गई है, **(संलग्नक–1)** तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि पौधारोपण योजना **(संलग्नक–2)** के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र **(संलग्नक–3)**, टोपोशीट मानचित्र **(संलग्नक–4)**, तथा क्षेत्र का नाम **(संलग्नक–5)** संलग्न कर प्रेषित हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 5 | **शुद्ध वर्तमान मूल्य** | |
| (क) | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.745 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.745 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 6,29,525.00 (छः लाख, उन्तीस हजार, पांच सौ पच्चीस) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के भुाद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–6)** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 56 trees and 9 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोश प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये गये हैं। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 8 | गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्श समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा |

| | | |
|---|---|---|
| | स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | |
| 23 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 24 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी। |

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा प्रेषित आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के तहत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2471 / 04-04-25 दिनॉक

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड निर्माण विभाग, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

| | | |
|---|---|---|
| | किया जायेगा। | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं। **(संलग्नक–7)** |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)** |
| 11 | संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जायेंगे। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 12 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 13 | केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त भार्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 14 | वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त भार्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 15 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)** |
| 16 | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 17 | परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 18 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिश्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त भार्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 19 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)** |
| 21 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)** |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–12)** |

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

पंजीकृत

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः— 1541 / 12—1 दिनांक, पौड़ी, फरवरी 20, ,2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय :— **जनपद—रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवालगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.745 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/35879/2018**

सन्दर्भ :— **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 71 / 2019 / एफ.सी. / 2563 दिनांक 31.03.2021**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 2490 / 12—1(2) दिनॉक 10.02.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रस्ताव विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक—351 / 16सी दिनांक 06.02.2025 से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को प्रेषित की गई, जो निम्नवत है—

| बि.सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति मे उल्लिखित शर्त | अनुपालन |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरणः—** | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1490 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.49 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1490 पौधों का @ CA rate for 1.49 ha. area रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु **रुपये 5,52,644.00 (पांच लाख, बावन हजार, छः सौ चवालीस) मात्र की धनराशि** जमा की गई है, **(संलग्नक—1)** तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि पौधारोपण योजना **(संलग्नक—2)** के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र **(संलग्नक—3),** टोपोशीट मानचित्र **(संलग्नक—4),** तथा क्षेत्र का नाम **(संलग्नक—5)** संलग्न कर प्रेषित हैं। |

सा0 अधि0 (प्रभारी रुद्रप्रयाग
श्री का0 क0

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

प्र0 व0 स0/नो0 अ0 हेतु
1-3-2025

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
पत्रांक सं0 3828
पत्रावली 121
दिनांक 1-3-25

| | | |
|---|---|---|
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरंण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 5 | **शुद्ध वर्तमान मूल्य** | |
| (क) | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.745 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.745 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 6,29,525.00 (छः लाख, उन्तीस हजार, पांच सौ पच्चीस) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–6)** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 56 trees and 9 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये गये हैं। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 8 | गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

क्रमशः पेज 03 पर

JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

| | | |
|---|---|---|
| 9 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं। **(संलग्नक–7)** |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)** |
| 11 | संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जायेंगे। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 12 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 13 | केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 14 | वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 15 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)** |
| 16 | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 17 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 18 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 19 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

क्रमशः पेज 04 पर

JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-2225

| | | |
|---|---|---|
| 20 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)** |
| 21 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)** |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–12)** |
| 23 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 24 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी। |

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

**(आकाश कुमार वर्मा)**
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 1541 / 12-1 दिनॉक

**प्रतिलिपिः**– प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

**(आकाश कुमार वर्मा)**
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पंजीकृत

ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

# कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 2490 /12-1(2) दिनांक 10 / 02 /2025::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- **जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवालगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.745 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**
**PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/35879/2018**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 71 / 2019 / एफ.सी. / 2563 दिनांक 31.03.2021 ।

**महोदय,**

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-351 / 16सी दिनांक 06.02.2025 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार / बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है-

| बि.सं. | शर्त का विवरण | आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि-उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि-उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरणः-** | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1490 पौंधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.49 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। | उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1490 पौधों का @ CA rate for 1.49 ha. area रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु **रुपये 5,52,644.00 (पांच लाख, बावन हजार, छः सौ चवालीस) मात्र की धनराशि** जमा की गई है, (संलग्नक-1) तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | पौधारोपण योजना **(संलग्नक-2)** के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र **(संलग्नक-3)**, टोपोशीट मानचित्र **(संलग्नक-4)**, तथा क्षेत्र का नाम **(संलग्नक-5)** संलग्न कर प्रेषित हैं। |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक-1 के अनुसार)** |

क्रमश :-2 पर

| | | |
|---|---|---|
| 5 | शुद्ध वर्तमान मूल्य | |
| (क) | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.745 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.745 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 6,29,525.00 (छः लाख, उन्तीस हजार, पांच सौ पच्चीस) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक–6)** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 56 trees and 9 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा होने वाली धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये गये हैं। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 8 | गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एकं वर्ष समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 9 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं। **(संलग्नक–7)** |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)** |
| 11 | संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जायेंगे। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

क्रमशः :–3 पर

| | | |
|---|---|---|
| 12 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 13 | केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 14 | वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 15 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)** |
| 16 | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 17 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 18 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 19 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 20 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)** |
| 21 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)** |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि–उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–12)** |

**क्रमश :–4 पर**

प्रा०
07/02/2025
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग
UTTARAKHAND
उत्तराखण्ड शासन
Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com
Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र संख्या 351 /16 डी०
दिनांक 06/02/2025

सेवामें,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/35879 /2018 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.745 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भ– **भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/71/2019/एफसी/2563 दिनांक 31.03.2021 एवं आपका पत्र संख्या 149/12–1(2) दिनांक 17.07.2021 एवं पत्र संख्या 3300/12–1(2) दिनांक 06.04.2023, 2261/12–1(2) दिनांक 25.01.2025 ।**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की **संशोधित** बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

| क्र0 | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी, इसका अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरणः–** | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1490 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.49 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हों, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। | प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु वांधित धनराशि रू0 5,52,644.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896135879491 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न–संलग्नक–1) |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बरसिर के ग्राम बच्वाड तहसील जखोली जनपद रूद्रप्रयाग के ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9–3(ङ) के खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 2054 रकवा 0.741 हे0 एवं खसरा 2085 रकवा 0.850 हे0 मध्ये 0.749 हे0 कुल रकवा 1.490 हे0 भूमि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या 1315/26–18/2020–21 दिनांक 16.12.2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में इंगित प्रयोजन हेतु हस्तान्तरण /नामान्तरण किया गया है (संलग्नक–2) पौधारोपण हेतु डिजिटल मानचित्र coordinates सहित संलग्न है (संलग्नक–3) |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किय जा सकते हैं। | प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु वांधित धनराशि रू0 5,52,644.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896135879491 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न–संलग्नक–1) तथा उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है। |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **शुद्ध वर्तमान मूल्यः–** | |
| (क) | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP ( C ) संख्या 202 / 1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफसी (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03. 10.2006 एवं 5–3 / 2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत **0.745 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध मूल्य वसूली करेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग शुद्ध वर्तमान मूल्य 0.745 है0 एनपीवी की देय धनराशि रू0 6,29,525.00 मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896135879491 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक–1)। |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्त अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | एनपीवी की धनराशि में यदि कोई वृद्धि होती है तो प्रस्तावक विभाग जमा करने हेतु सहमति है, एनपीवी की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–2)। |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 56 trees and 9 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यरूवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल E-Portal (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना अभिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किए जायेंगे। | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल E-Portal (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन में जमा किया गया है (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक–1)। |
| 8 | गाईड लाईन्स में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य आरम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सकरार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 9 | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | अनुपालन किया जायेगा (संलग्न–3) |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारे पर पौधों की संख्या बढायेगा। | अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–4) |
| 11 | संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 12 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 13 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 14 | वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 15 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभांग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। | अनुपालन किया जायेगा। रसोई गैंस / कैरोसिन का प्रमाण पत्र संलग्नक है–संलग्नक–5)। |
| 16 | सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। | अनुपालन कर दिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–6) |
| 17 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। | अनुपालन किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 19 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 20 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–7) |
| 21 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | अनुपालन किया जायेगा। वन्य जीवों को क्षति न पहुंचाने का प्रमाण पत्र संलग्न है–संलग्नक–8)। |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नीवित करने का कार्य करेगा। मलवे मको यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | अनुपालन किया जायेगा। मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र संलग्न है, संलग्नक–9)। |
| 23 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि यदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। | अनुपालन किया जायेगा। |
| 24 | अनुपालन आख्या E-Portal (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। | अनुपालन आख्या E-Portal (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी जायेगी। |

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

06/02/25

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वनभूमि
हे0 ऑ0 क0 कार्ट,

प्र0 व0 अ0

| | | Application_No | (New) | PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP/UK/ROAD/11055/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11055/2015)<br><br>Construction of Mamni-Uroli Motor Road under State sectore | ROAD110552015179 | 6111055179 | 01 Dec 2017 | **CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/-<br>**PCA:** 0/- , **CAT :** 0/-<br>**Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/-<br>**NPV:** 0/- , **Change User Agency :** 100000/-<br>**Other Charges1 :** 0/-<br>**Other Charges2 :** 0/-<br>**Other Charges3 :** 0/-<br>**Total :** 100000/- | Paid | **Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :15 Oct 2022<br>**Bank Name** : Union Bank Of India<br>**Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan)<br>**Challan Generated On** : 07 Nov 2022<br>**Transaction Date** : 21 Dec 2022 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/151020221157226576_FPUKROAD110552015_User_Fund_Demanded_61422.pdf<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD110552015179) |
| 2 | FP/UK/ROAD/35879/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/35879/2018)<br><br>Construction of Jakhani to Tendwalgaon Motor road under District Sector | ROAD358792018491 | 6135879491 | 31 Mar 2021 | **CA:** 552644/- , **Addl CA :** 0/-<br>**PCA:** 0/- , **CAT :** 0/-<br>**Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/-<br>**NPV:** 629525/- , **Other Charges :** 0/-<br>**Other Charges1 :** 0/-<br>**Other Charges2 :** 0/-<br>**Other Charges3 :** 0/-<br>**Total :** 1182169/- | Paid | **Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :28 Jul 2021<br>**Bank Name** : Union Bank Of India<br>**Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan)<br>**Challan Generated On** :12 Oct 2022<br>**Transaction Date** : 02 Nov 2022 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/71123121712164EIY0DemandNote.pdf)<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD358792018491) |
| 3 | FP/UK/ROAD/43416/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/43416/2019)<br><br>Construction of Tilwara Bhardar Syari to Syari Gaon Motor road | ROAD434162019703 | 6143416703 | 10 Sep 2021 | **CA:** 146400/- , **Addl CA :** 0/-<br>**PCA:** 0/- , **CAT :** 0/-<br>**Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/-<br>**NPV:** 103478/- , **Other Charges :** 0/-<br>**Other Charges1 :** 0/-<br>**Other Charges2 :** 0/-<br>**Other Charges3 :** 0/-<br>**Total :** 249878/- | Paid | **Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :26 Apr 2022<br>**Bank Name** : Union Bank Of India<br>**Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan)<br>**Challan Generated On** :25 Jul 2022<br>**Transaction Date** : 02 Sep 2022 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/180420221517544241_FPUKROAD434162019_User_Fund_Demanded_86200.pd<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD434162019703) |
| 4 | FP/UK/ROAD/121750/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/121750/2021)<br><br>Construction of Dungra (Bachansyu) to Arsuin Motor road under State Sector | ROAD1217502021165 | 61121750165 | 29 Nov 2021 | **CA:** 1253649/- , **Addl CA :** 0/-<br>**PCA:** 0/- , **CAT :** 0/-<br>**Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/-<br>**NPV:** 1110330/- , **Other Charges :** 0/-<br>**Other Charges1 :** 0/-<br>**Other Charges2 :** 0/-<br>**Other Charges3 :** 0/-<br>**Total :** 2363979/- | Paid | **Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Dec 2021<br>**Bank Name** : Union Bank Of India<br>**Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan)<br>**Challan Generated On** : 12 May 2022<br>**Transaction Date** : 24 May 2022 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/061220211626287210_FPUKROAD1217502021_User_Fund_Demanded_1T631.pc<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1217502021165) |

(1)

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

**प्रतिपर्ण / Counterfoil**

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

**SBI** भारतीय स्टेट बैंक

**STATE BANK OF INDIA**

शाखा / Branch : RUDRA PRAYAG.

दिनांक/Date : 31/10/22

Received From ..............................

.............................. से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर / on : ..............................

बैंक / Bank : Union Bank of India

शाखा / Branch : FCS Center 2/11 III Floor Jelitta Tower mission Road Bengaluru

के पक्ष में / Favouring : Uttaranchan Combe

आईएफएससी कोड / IFSC Code : UBIN0996335

खाता संख्या / Account No. : 15009613587949 1

| | |
|---|---|
| राशि (रुपये में) / Rupees ₹ : | 1182169=00 |
| बैंक प्रभार/Bank's charges ₹: | |
| योग / Total ₹ : | 1182169=00 |

राशि / Rupees (in words) : Eleven Lac Eight Two thousand one hundred Sixty nine only.)

Y2140 (85) Dt 13/10/22

गारवली से टेलड्वाल गांव मोटर मार्ग के निर्माण की एन.पी.वी. की धनराशि का चालान

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :— जनपद— रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाखणी — टेण्डवाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.745 है0 वन भूमि के एवज 1.49 है0 में गैर वानिकी कार्य हेतु वृक्षारोपण प्राक्कलन।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वृक्षारोपण स्थल का नाम — | | बच्वाड सिविल | | | |
| सकल क्षेत्रफल— है0 | | शुद्ध क्षेत्रफल | 1.49 है० | वर्ष | 2024-25 |
| क्र०सं० | रोपित प्रजातियां | संख्या | | | |
| 1 | देवदार | 291 | | | |
| 2 | तुन | 200 | | | |
| 3 | घिंघारू | 164 | | | |
| 4 | मेहल | 328 | | | |
| 5 | सिरस | 164 | | | |
| 6 | बांज | 164 | | | |
| 7 | बेहडा | 328 | | | |
| | **कुल रोपित पौध** | **1639** | | | |
| **प्रथम वर्ष 2024—25** | | | | | |
| क्र०सं० | कार्य का विवरण | इकाई | | इकाई दर प्रति रू० | व्यय |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | सर्वे व सीमांकन | 1.49 | है० | 1118.00 | 1665.82 |
| 2 | क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य | 1.49 | है० | 1908.06 | 2843.01 |
| 3 | कुली वाल (81 घ0 मी0 प्रति है0 150 र0मी0 प्रति है0) | 1.49 | है० | 745.72 | 30201.66 |
| 4 | गड्ढो का खुदान 0.30×0.30×0.45 cum) रेखांकन सहित | 1639 | प्र०गड्ढा | 12.48 | 20454.72 |
| 5 | पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का | 1639 | प्र०सं० | 19.00 | 31141.00 |
| 6 | भूमि संरक्षण कार्य (कन्टूर नाली 300 र0मी0 ) 3 x 0.45 x 0.30 | 1.49 | प्रति है0 | 31308.00 | 46962.00 |
| | | | | उप योग :— | **133268.21** |
| 7 | कार्यालय व्यय— स्टेशनरी | 1.49 | प्रति है0 | 1344.00 | 2002.56 |
| 8 | पौधालय विकास एवं अनुरक्षण कार्य—2 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 2687.00 | 4003.63 |
| 9 | मूल्याकंन एंव अभिलेखी करण —0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 672.00 | 500.64 |
| 10 | श्रम कल्याण कार्य —0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 672.00 | 500.64 |
| 11 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईर्धन व अन्य पर व्यय— 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 1344.00 | 2002.56 |
| 12 | कार्यालय व्यय— स्टेशनरीए आदि व्यय —1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 1344.00 | 2002.56 |
| 9 | आकस्मिक व्यय— प्रतिशत | 1.49 | सं0 | 1344.00 | 2002.56 |
| | | | | **योग :—** | **13015.15** |
| | | | | **प्रथम वर्ष का योग** | **146283.36** |
| **द्वितीय वर्ष 2025—26** | | | | | |
| 1 | गड्ढा भरान कार्य 0.30×0.30×0.45 cum) | 1639 | सं० | 2.27 | 3720.53 |
| 2 | कन्टूर नालियों में हयूमश, कीटनाशक डालना व बीज बोना | 150 | र0मी0 | 2.27 | 340.50 |
| 3 | पौधों की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) | 1639 | प्रति पौध | 5.02 | 8227.78 |
| 4 | वाहन द्वारा 50 किमी0 दूरी से लोडिंग अनलोडिग सहित | 1639 | प्रति पौध | 9.35 | 15324.65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | सिरबोझ ढुलान 3 किमी0 | 1639 | प्रति पौध | 8.00 | 13112.00 |
| 6 | पौध रोपण कार्य | 1639 | प्रति पौध | 4.54 | 7441.06 |
| 7 | निराई गुडाई करना (प्रथम बार) | 1639 | प्रति पौध | 3.12 | 5113.68 |
| 8 | निराई गुडाई करना मय मलचिंग कार्य (द्वितीय बार) | 1639 | प्रति पौध | 2.72 | 4458.08 |
| 9 | खाद रसायन | 1639 | प्रति पौध | 0.35 | 573.65 |
| 10 | प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रख रखाव पर व्यय (वॉचर–01) | 1.49 | प्र० है०/माह | 988.00 | 11776.96 |
| 11 | सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना। | 1.49 | प्रति है0 | 245.00 | 365.05 |
| 12 | वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिंगलिंग – पुर्निंग व थांवला बन्दी | 1.49 | प्रति है0 | 1247.84 | 1859.28 |
| 13 | वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है0 450 कटिंग का रोपण कार्य। | 1.49 | प्रति सैकडा | 108.00 | 243.00 |
| | | | | उप योग :– | **72556.22** |
| 1 | मूल्याकंन एवं अभिलेखीकरण – 1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 549.85 | 819.28 |
| 2 | श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 274.93 | 409.65 |
| 3 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, इर्धन व अन्य पर व्यय– 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 549.85 | 819.28 |
| 4 | कार्यालय व्यय– स्टेशनरीए आदि व्यय –1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 549.85 | 819.28 |
| 5 | साईन बोर्ड लगाना | 1.49 | प्रति है0 | | 1000.00 |
| | | | | **योग :–** | **3867.48** |
| | | | | **द्वितीय वर्ष कुल योग** | **76423.70** |
| | **तृतीय वर्ष 2026–27** | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकदार 12 माह | 1.49 | है० | 988.00 | 17665.44 |
| 2 | 20 प्रतिशत पौधों (2 वर्ष की पौध ) की क्षति पूर्ति (कीमत व ढुलान का मूल्य) वास्तविक क्षतिपूर्ति | 328 | है० | 42.17 | 13831.76 |
| 3 | निराई– गुडाई प्रथम बार | 1639 | प्रति पौध | 3.12 | 5113.68 |
| 4 | निराई– गुडाइ द्वितीय बार | 1639 | प्रति पौध | 2.72 | 4458.08 |
| 5 | सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना। | 1.49 | प्रति है0 | 245.00 | 365.05 |
| | | | | उप योग :– | **41434.01** |
| 6 | मूल्याकंन एवं अभिलेखीकरण – 1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 332.16 | 494.92 |
| 7 | श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 166.08 | 247.46 |
| 8 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, इर्धन व अन्य पर व्यय– 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 332.16 | 494.92 |
| 9 | कार्यालय व्यय– स्टेशनरीए आदि व्यय –1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 332.16 | 494.92 |
| 10 | आकस्मिक व्यय– प्रतिशत | 1.49 | सं0 | 664.33 | 989.85 |
| | | | | **योग :–** | **2722.07** |
| | | | | **तृतीय वर्ष कुल योग :–** | **44156.08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| चतुर्थ वर्ष 2027–28 | | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकदार 12 माह | 1.49 | है० | 988.00 | 17665.44 |
| 2 | 10 प्रतिशत पौधों (2 वर्ष की पौध ) की क्षति पूर्ति (कीमत व ढुलान का मूल्य) वास्तविक क्षतिपूर्ति | 164 | है० | 42.17 | 6915.88 |
| 3 | निराई– गुडाई प्रथम बार | 1639 | प्रति पौध | 3.12 | 5113.68 |
| 4 | निराई– गुडाइ द्वितीय बार | 1639 | प्रति पौध | 2.72 | 4458.08 |
| 5 | सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना। | 1.49 | प्रति है0 | 245.00 | 365.05 |
| | | | | उप योग :– | **34518.13** |
| 6 | मूल्याकंन एवं अभिलेखीकरण – 1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 292.21 | 435.39 |
| 7 | श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 146.11 | 217.70 |
| 8 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, इर्धन व अन्य पर व्यय– 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 292.21 | 435.39 |
| 9 | कार्यालय व्यय– स्टेशनरीए आदि व्यय –1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 292.21 | 435.39 |
| 10 | आकस्मिक व्यय– प्रतिशत | 1.49 | सं0 | 584.42 | 870.79 |
| | | | | योग :– | **2394.67** |
| | | | | चुर्तथ वर्ष कुल योग :– | **36912.80** |
| पंचम वर्ष 2028–29 | | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकदार 12 माह | 1.49 | है० | 988.00 | 17665.44 |
| 2 | निराई– गुडाई प्रथम बार | 1639 | प्रति पौध | 3.12 | 5113.68 |
| 3 | निराई– गुडाइ द्वितीय बार | 1639 | प्रति पौध | 2.72 | 4458.08 |
| 4 | सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना। | 1.49 | प्रति है0 | 245.00 | 365.05 |
| | | | | उप योग :– | **27602.25** |
| 5 | मूल्याकंन एवं अभिलेखीकरण – 1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 252.26 | 375.87 |
| 6 | श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 126.13 | 187.93 |
| 7 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, इर्धन व अन्य पर व्यय– 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 252.26 | 375.87 |
| 8 | कार्यालय व्यय– स्टेशनरीए आदि व्यय –1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 252.26 | 375.87 |
| 9 | आकस्मिक व्यय– प्रतिशत | 1.49 | सं0 | 504.52 | 751.73 |
| | | | | योग :– | **2067.27** |
| | | | | पंचम वर्ष कुल योग :– | **29669.52** |
| षष्टम वर्ष 2029–30 | | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकदार 12 माह | 1.49 | है० | 988.00 | 17665.44 |
| 2 | निराई– गुडाई प्रथम बार | 1639 | प्रति पौध | 3.12 | 5113.68 |
| 3 | निराई– गुडाइ द्वितीय बार | 1639 | प्रति पौध | 2.72 | 4458.08 |
| 4 | सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना। | 1.49 | प्रति है0 | 245.00 | 365.05 |
| | | | | उप योग :– | **27602.25** |
| 5 | मूल्याकंन एवं अभिलेखीकरण – 1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 252.26 | 375.87 |
| 6 | श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 126.13 | 187.93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, इर्धन व अन्य पर व्यय– 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 252.26 | 375.87 |
| 8 | कार्यालय व्यय– स्टेशनरीए आदि व्यय –1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 252.26 | 375.87 |
| 9 | आकस्मिक व्यय– प्रतिशत | 1.49 | सं0 | 504.52 | 751.73 |
| | | | | योग :– | 2067.27 |
| | | | | षष्टम वर्ष कुल योग :– | 29669.52 |
| | **सप्तम वर्ष 2030–31** | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकदार 12 माह | 1.49 | है० | 988.00 | 17665.44 |
| 2 | निराई– गुडाई प्रथम बार | 1639 | प्रति पौध | 3.12 | 5113.68 |
| 3 | निराई– गुडाइ द्वितीय बार | 1639 | प्रति पौध | 2.72 | 4458.08 |
| 4 | सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना। | 1.49 | प्रति है0 | 245.00 | 365.05 |
| | | | | उप योग :– | 27602.25 |
| 5 | मूल्याकंन एवं अभिलेखीकरण – 1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 126.13 | 187.93 |
| 6 | श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 252.26 | 375.87 |
| 7 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, इर्धन व अन्य पर व्यय– 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 252.26 | 375.87 |
| 8 | कार्यालय व्यय– स्टेशनरीए आदि व्यय –1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 252.26 | 375.87 |
| 9 | आकस्मिक व्यय– प्रतिशत | 1.49 | सं0 | 504.52 | 751.73 |
| | | | | योग :– | 2067.27 |
| | | | | सप्तम वर्ष कुल योग :– | 29669.52 |
| | **अष्टम वर्ष 2031–32** | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकदार 12 माह | 1.49 | है० | 988.00 | 17665.44 |
| 2 | निराई– गुडाई प्रथम बार | 1639 | प्रति पौध | 3.12 | 5113.68 |
| 3 | निराई– गुडाइ द्वितीय बार | 1639 | प्रति पौध | 2.72 | 4458.08 |
| 4 | सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना। | 1.49 | प्रति है0 | 245.00 | 365.05 |
| | | | | उप योग :– | 27602.25 |
| 5 | मूल्याकंन एवं अभिलेखीकरण – 1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 239.66 | 357.09 |
| 6 | श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 119.83 | 178.55 |
| 7 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, इर्धन व अन्य पर व्यय– 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 239.66 | 357.09 |
| 8 | कार्यालय व्यय– स्टेशनरीए आदि व्यय –1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 239.66 | 357.09 |
| 9 | आकस्मिक व्यय– प्रतिशत | 1.49 | सं0 | 479.32 | 714.19 |
| | | | | योग :– | 1964.01 |
| | | | | अष्टम वर्ष योग :– | 29566.26 |
| | **नवम वर्ष** | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकदार 12 माह | 1.49 | है० | 988.00 | 17665.44 |
| 2 | निराई– गुडाई प्रथम बार | 1639 | प्रति पौध | 3.12 | 5113.68 |
| 3 | निराई– गुडाइ द्वितीय बार | 1639 | प्रति पौध | 2.72 | 4458.08 |
| 4 | सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना। | 1.49 | प्रति है0 | 245.00 | 365.05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | उप योग :– | **27602.25** |
| 5 | मूल्याकंन एवं अभिलेखीकरण – 1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 239.66 | 357.09 |
| 6 | श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 119.83 | 178.55 |
| 7 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईर्धन व अन्य पर व्यय– 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 239.66 | 357.09 |
| 8 | कार्यालय व्यय– स्टेशनरीए आदि व्यय –1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 239.66 | 357.09 |
| 9 | आकस्मिक व्यय– प्रतिशत | 1.49 | सं0 | 479.32 | 714.19 |
| | | | | योग :– | **1964.01** |
| | | | | **नवम वर्ष योग :–** | **29566.26** |
| | **दशम वर्ष** | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकदार 12 माह | 1.49 | है० | 1977.00 | 35348.76 |
| 2 | निराई– गुडाई प्रथम बार | 1639 | प्रति पौध | 3.12 | 5113.68 |
| 3 | निराई– गुडाइ द्वितीय बार | 1639 | प्रति पौध | 2.72 | 4458.08 |
| 4 | सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पटटी साफ करना। | 1.49 | प्रति है0 | 245.00 | 365.05 |
| | | | | उप योग :– | **45285.57** |
| 5 | मूल्याकंन एवं अभिलेखीकरण – 1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 239.66 | 357.09 |
| 6 | श्रम कल्याण कार्य – 0.50 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 119.83 | 178.55 |
| 7 | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईर्धन व अन्य पर व्यय– 1 प्रति शत | 1.49 | प्रति है0 | 239.66 | 357.09 |
| 8 | कार्यालय व्यय– स्टेशनरीए आदि व्यय –1 प्रतिशत | 1.49 | प्रति है0 | 239.66 | 357.09 |
| 9 | आकस्मिक व्यय– प्रतिशत | 1.49 | सं0 | 479.32 | 714.19 |
| | | | | योग :– | **1964.01** |
| | | | | **दशम वर्ष योग :–** | **47249.58** |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **5– कुल व्यय सार प्रति है० व कुल व्यय** | |
| 1 | प्रथम वर्ष | 146283.36 |
| 2 | द्वितीय वर्ष | 76423.70 |
| 3 | तृतीय वर्ष | 44156.08 |
| 4 | चतुर्थ वर्ष | 36912.80 |
| 5 | पंचम वर्ष | 29669.52 |
| 6 | षष्ठम वर्ष | 29669.52 |
| 7 | सप्तम वर्ष | 29669.52 |
| 8 | अष्टम वर्ष | 29566.26 |
| 9 | नवम वर्ष | 29566.26 |
| 10 | दसम वर्ष | 47249.58 |
| | **कुल व्यय रूपये** | **499166.60** |
| | **मृदा जल संरक्षण कार्य :–** | **53478.00** |
| | **या :–** | **552644.60** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–149/12–1–2 दिनांक 17.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2024–22 हेतु देय दर/ 370902.00 रू0/है0** | 1.49 | 370902.00 | 552644.0 |

उप प्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी रेंज, जखोली

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

जियोरेफेरेन्स मैपः—जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल मोटर मार्ग के निर्माण 0.745 है0 वनभूमि के एवज में 1.4900 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु

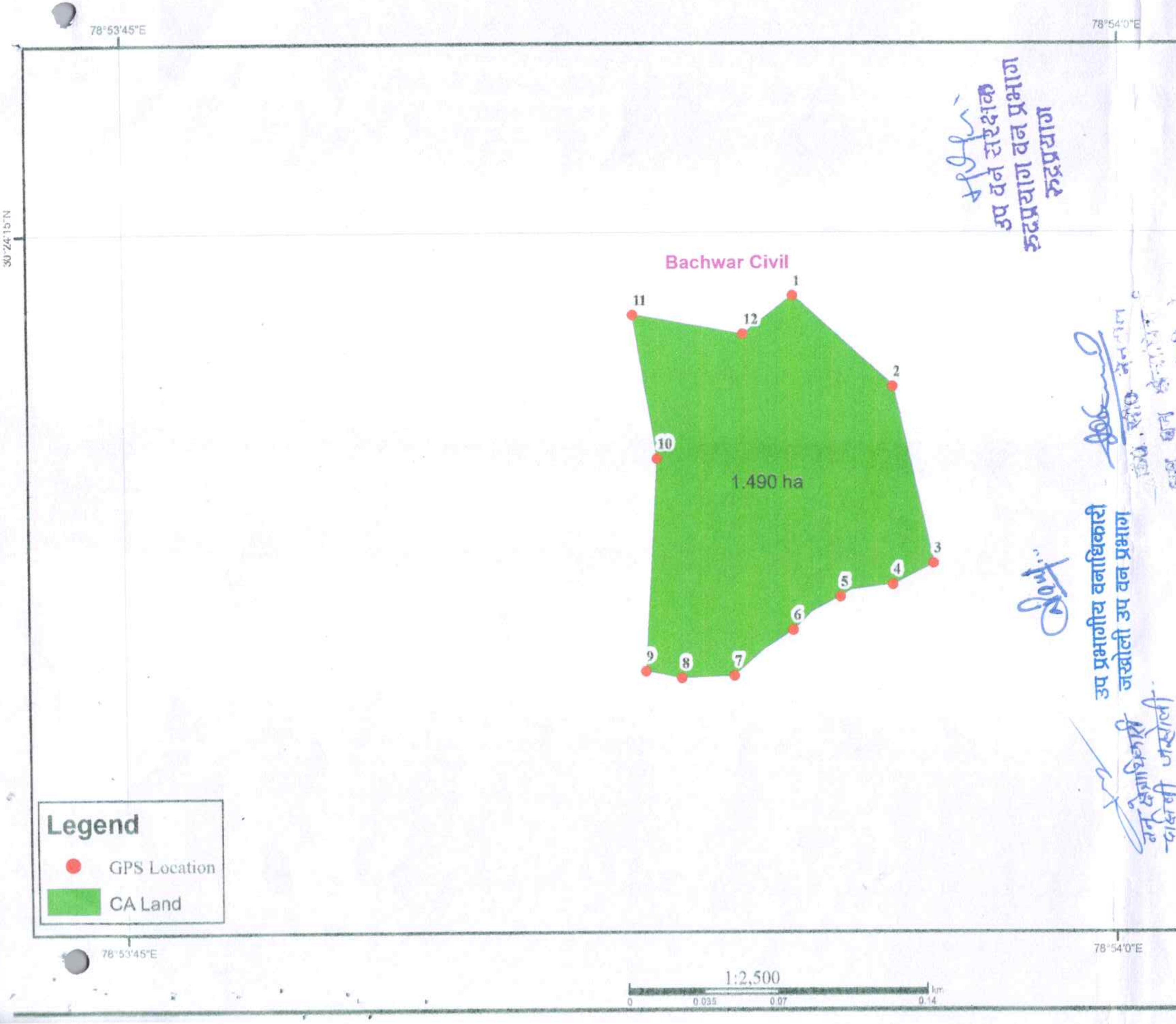


| Co-ordinates of Plantation Site | | |
|---|---|---|
| Id | Longitude | Latitude |
| 1 | 77° 56' 45.27" E | 31° 0' 2.65" N |
| 2 | 77° 56' 49.47" E | 31° 0' 3.51" N |
| 3 | 77° 56' 54" E | 31° 0' 1.47" N |
| 4 | 77° 56' 57.95" E | 30° 59' 58.07" N |
| 5 | 77° 56' 59.2" E | 30° 59' 52.04" N |
| 6 | 77° 56' 56.2" E | 30° 59' 51.64" N |
| 7 | 77° 56' 55.49" E | 30° 59' 52.37" N |
| 8 | 77° 56' 56.16" E | 30° 59' 53.6" N |
| 9 | 77° 56' 51.93" E | 30° 59' 55.08" N |
| 10 | 77° 56' 50.81" E | 30° 59' 57.09" N |
| 11 | 77° 56' 51.16" E | 30° 59' 58.8" N |
| 12 | 77° 56' 46.94" E | 31° 0' 0.75" N |

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

अपर सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradu

(4)

डिजिटल मैप:- जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल मोटर मार्ग के निर्माण 0.745 है0 वनभूमि के एवज में 1.4900 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु

SOI Toposheet No: 53J/15

वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी जखोली उप वन प्रभाग

उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

Legend

Reserve Forest Area

Reserve Forest Boundary

Forest Division Boundary

Proposed Plantation Site

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

अपर सहायक अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

Prepared by: IT & GIS Cell, CCF Office, Dehradun

(5)

# क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण– पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवालगावं मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.745 है0 वन भूमि के एवज् में दोगुनी भूमि 1.49 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित बच्वाड सिविल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। तथा वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई भी वनीकरण कार्य नही हुआ है। चयनित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.4 (40%) से कम है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी रेंज, जखोली

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

## एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग | सहायक अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग |

photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

# FORM-1

**(for linear projects)**

**Government of Uttarakhand**
**Office of the District Collector Rudraprayag**

**No**-48 **Dated**-----26/9/18

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.7450 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Jakhani to Tendwalgaon Motor Road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Tendalwalgaon** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Eucl: As above.**

**Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)**

photo copy attested

**(Full name and official seal of the District Collector)**

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



प्रतिहस्ताक्षरित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी

**ANNEXURE....**

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR**
**DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mangesh Ghildiyal I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date ...26/9/18... at time ...2-00 Pm... at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **0.7450 hect** for the **Construction of Jakhani to Tendwalgaon Motor Road under District Sector (1.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place : Rudraprayag**
**Dated:....26/9/18**

**Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)**
**District Magistrate-cum-**
**Chairman, District Level**
**Committe, Rudraprayag**

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०

P/C attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र**
**ग्राम पंचायत का नाम :– ...........................**
**तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग**

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0**) परियोजना के निर्माण हेतु (0.6300 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.0700 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.0450 हे0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण) अर्थात **कुल 0.7450 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ............ द्वारा दिनांक 27/01/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ............ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0

प्रपत्र--23.1

परियोजना का नाम :-- जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

दिनांक 27/1/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जखणी (जाखणगांव)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | प्रेम प्रकाश कोठारी | [signature] |
| 2 | सत्य प्रकाश कोठारी | सत्य प्रकाश |
| 3 | लाखी राम कोठारी | लाखीराम |
| 4 | राम लाल कोठारी | रामलाल |
| 5 | द्वारिका प्रसाद कोठारी | द्वारिका |
| 6 | जगदम्बा कोठारी | जगदम्बा |
| 7 | नरेश कोठारी | नरेश |
| 8 | कुलानन्द कोठारी | कुलानन्द |
| 9 | चिन्तामणी कोठारी | चिन्तामणी |
| 10 | शांती लाल | शांती लाल |
| 11 | शिव प्रसाद कोठारी | शिव प्रसाद कोठारी |
| 12 | जनार्धन प्रसाद कोठारी | जनार्धन प्रसाद |
| 13 | शिरोमणी कोठारी | शिरोमणी |
| 14 | मुकेश लाल | मुकेशलाल |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

संलग्न है।

p/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत जखोली (रूद्रप्रयाग)

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

## प्रपत्र–23.2

**परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0**

**कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग**

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र**

## उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0** (0.6300 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.0700 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.0450 हे0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण) अर्थात **कुल 0.7450 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (**तहसील जखोली**) की दिनांक 9/7/18 – को सम्पन्न बठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री Gaurav Ja..., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री Gaurav ...... उपजिलाधिकारी ———— जखोली ———— अध्यक्ष
2– श्री ............ उप प्रभागीय वनाधिकारी———— जखोली ———— सदस्य
3– श्री ............ सहायक समाज कल्याण अधिकारी———— जखोली ———— सदस्य / सचिव
4– श्रीमती सरिता देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र ............ जखोली ———— सदस्य सरिता देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0** परियोजना हेतु **0.7450 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुसंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0** परियोजना के निर्माण हेतु **0.7450 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–जखोली जनपद रूद्रप्रयाग।

(श्रीमती सरिता देवी)
क्षेत्र पंचायत सदस्य ललूड़ी
वि0 ख0 जखोली / रूद्रप्रयाग

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड जखोली
जनपद रूद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

(8)



परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

## सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का

## प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग | सहायक अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग |

p/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

## रसौई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

## वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

**परियोजना का नाम** :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

**प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के नव निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।**

**प्रभागीय वनाधिकारी**
**रूद्रप्रयाग**

**अधिशासी अभियन्ता**
**प्रा0ख0 लो0नि0वि0**
**रूद्रप्रयाग**

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0**

## वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य / रख–रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग | सहायक अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0<br>रूद्रप्रयाग |

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

# मक डिस्पोजल प्लानिंग

| Sr. No. | Material recived from hill side cutting | 4500.00 | cum |
|---|---|---|---|
| | Material received from hill side cutting including 40% of swell factor | 1800.00 | cum |
| | Total | 6300.00 | Cum |
| | **Disposal and Use of Material** | | |
| 1 | R.R. Stone Masonary laid in 1:5 | 700.00 | cum |
| 2 | R.R. Stone Masonary laid dry | 800.00 | cum |
| 3 | Hand packed Stone filling | 400.00 | cum |
| 4 | Construction of Wire crate | 400.00 | cum |
| 5 | Construction of Parapet | 100.00 | cum |
| 6 | Granular sub base /base/surface | 700.00 | cum |
| 7 | Construction of Scupper | 1000.00 | cum |
| 8 | Construction of Road side Drain | 150.00 | cum |
| 9 | Super elevation & Patri filling | 1050.00 | cum |
| 10 | Concrete work | 100.00 | cum |
| 11 | Total | 5400.00 | cum |
| 12 | Material Disposal by Cartage | 900.00 | cum |

Summary of Dabries Disposal

| Sr. No. | Total Dabries | Material disposal by Cartage | Reused material for road construction | Total disposal in Dumping Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5400.00 cum | 900.00 cu | 5400.00 cum | 900.00 cum |

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Pk attented

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, लम्बाई 1.00 किमी0

## Detail of Muck Disposal Sites

| S. No. | Location of Dumping Yard) | Owner of Land | Khasara No. (compartment) | Area (in hectares) | Height of Dumping Zone (m) | Capacity of Dumping yard in cum | longitude /latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | X.S – 0/25 | Reserve forest | 5a | 0.0225 | 2.00 M | 450.00 cum | 78°54'43.858"E 30°22'38.639"N |
| ② | X.S – 0/35 | Reserve forest | 5a | 0.0225 | 2.00 m | 450.00 cu | 78°54'44.858"E 30°22'44.171"N |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

P/C attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

P.C. Att.